

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

संख्या: 8605 / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2025-26

दिनांक: 22/08/2025

कार्यालय-आदेश

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की मा. पीठों द्वारा पारित आदेश के पश्चात् रिफंड/विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में मूल शिकायतकर्ता/आवंटी के देहावसान हो जाने के पश्चात् उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित होने की दशा में वसूली प्रमाण-पत्र के सापेक्ष प्राप्त धनराशि मूल आवंटी के वास्तविक उत्तराधिकारी को अंतरित किये जाने में काफी विलम्ब होता है।

उक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत इंडेमनिटी बांड का प्रारूप अनुमोदित किया गया है, जो इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न है। प्राधिकरण की आदेश क्रियान्वयन शाखा में उत्तराधिकारियों को धनराशि अंतरित किये जाने के सम्बन्ध में इसी इंडेमनिटी बांड पर प्रस्ताव स्वीकार्य होगा।


अतः इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
संलग्नक-यथोक्त।


(महेन्द्र वर्मा)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
2. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. राजस्व (रिकवरी) अधिकारी, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को पोर्टल पर आदेश अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

INDEMNITY BOND

(Printed on non-judicial stamp paper of value Rs.500)

THIS INDEMNITY BOND is made on this ____ day of..... (Month), (year) by the following

- i. Sh./Smt.aged about years R/o,,
- ii. Sh./Smt.aged about years R/o,,
- iii. Sh./Smt.aged about years R/o,,

(hereinafter referred to as the “**Executant(s)**” which expression shall include their legal heirs, successors, executors, assignees and administrators of.

IN FAVOUR OF

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (herein referred to as UPRERA') of the OTHER PART.

WHEREAS a sum of Rs...../- (**Rupees** **Only**) were deposited by Late Sh. (name of the deceased allottee) R/o for Plot/Apartment/Floor/Villa/Shop/etc. No..... admeasuring Sq. Ft./Sq. Yds. (..... sq. mtrs.) in the Project, known as (**Project Name**) situated at (**Project location**) (hereinafter referred to as the "**Said Unit**").

WHEREAS the Executants/Applicants filed a complaint before UPRERA vide complaint No. titled as "..... **Vs**" and Hon'ble UPRERA pleased to pass a judgment dated /.... /20... in complainant's favor.

WHEREAS a Recovery Certificate was issued vide no. dated /.../20.... for an amount of Rs./- (**Rupees** **Only**) because of non-compliance of the said judgment dated /.... /20....

Any amount which has been received against the said Recovery Certificate issued and/or has been received from the UP-REAT/etc. is to be transferred to the bank account(s) of the Executants/Applicants.

WHEREAS the Executants/Applicants declares/affirms that there is no dispute or litigation of any sort is pending against any person representing the Executants/Applicants in any court of law or tribunal in India.

Hence, this bond is witnessed as follows:

1. AND whereas the deceased Late Sh./Smt. R/o,, (**allottee of the said unit**), who died on date .../.../20... (death certificate enclosed), has left the following legal heirs viz, major and minor both (Surviving Members Certificate enclosed). The following list also contains their bank account details (Copy of bank passbook/cancelled cheque enclosed):-

SN	Name	Age	Relationship with the deceased	Bank Name	Bank Account number	IFSC Code
1	Sh./Smt.....	Wife			
2	Sh.	Son			
3	Ms.....	Daughter			

2. AND that there are no other legal heirs of the deceased except those mentioned above and that there is no dispute or litigation of any sort is pending in this regard in any Court of law or Tribunal in India.

3. AND whereas, the Executants/Applicants executes this indemnity bond to indemnify the UPRERA or any of his officers/staff, against any third-party claim in respect of right, title or interest of the amount which is going to be transferred in the account of the above Executants/Applicants for which this indemnification bond has been made.
4. AND whereas in the event where any information to the contrary comes to the notice of the UPRERA as a result of any litigation in respect of right, title or interest of the above said recovered amount and any liability of any charge or encumbrances, the UPRERA shall be at liberty to initiate recovery proceedings against the executants.
5. That we all Executants/Applicants hereby stand surety and execute this indemnity bond for the genuineness of all the documents being submitted for the claim of recovered amount in the said complaint.
6. That, in case of any legal/financial claim/ liability arising out of any objection/ claim/ dispute by any other alleged heir except above mentioned Legal Heirs in future, then the executants and its legal heirs and successors hereby shall indemnify the UPRERA of any such legal/ financial claim/ liability.
7. That the liability arising out of any such claim shall be the sole responsibility of the Executants/Applicants and no compensation or legal action of any kind shall lie towards the Secretary, Uttar Pradesh Real Estate Authority, U.P. and the Executants/Applicants hereby and their legal heirs and successors shall be liable to make good the loss if any against all such valid claims.

Name & address: Executant(s)

1. _____

2. _____

Place: _____

Date: _____

प्रतिज्ञा-पत्र (Indemnity Bond)

(500 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर मुद्रित)

यह प्रतिज्ञा पत्र इस दिनांक ____ (माह) (वर्ष) को निम्नलिखित द्वारा निष्पादित किया गया है:

1. श्री / श्रीमती / कु , आयु लगभग वर्ष, निवासी , , , (पूर्ण पता)
2. श्री / श्रीमती/ कु , आयु लगभग वर्ष, निवासी , , , (पूर्ण पता)
3. श्री / श्रीमती / कु..... , आयु लगभग वर्ष, निवासी , , , (पूर्ण पता)

(इन्हें "निष्पादकगण" कहा जाएगा, जिसमें उनके वैध उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारिणी, प्रतिनिधि, कार्यपालक, और प्रशासक भी सम्मिलित माने जाएंगे।)

पक्ष में:

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यहाँ पर "उत्तर प्रदेश रेरा" संबोधित किया जाएगा।)

यह कि, रुपये/- (अक्षरों में: मात्र) की राशि स्व. श्री / श्रीमती (दिवंगत आवंटी / सह-आवंटी का नाम) पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी श्री / श्रीमती....., निवासी (पूर्ण पता) द्वारा परियोजना (परियोजना का नाम) के अंतर्गत स्थित भूखंड / अपार्टमेंट / मंजिल / विला / दुकान, इत्यादि सं. माप वर्ग फुट / वर्ग गज (___ वर्ग मीटर) के लिए जमा की गई थी (जिसे आगे “उक्त इकाई” कहा गया है)।

यह कि, आवंटी / आवंटियों / निष्पादकगण / शिकायतकर्ता(ओं) ने उत्तर प्रदेश रेरा के समक्ष शिकायत संख्या शीर्षक “.....(शिकायतकर्ता) बनाम(विपक्षी)” दाखिल की थी और माननीय उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा दिनांक/...../20... को उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है।

यह कि, उक्त निर्णय का अनुपालन न होने पर वसूली प्रमाणपत्र संख्या , दिनांक/...../20....., धनराशि रुपये/- (अक्षरों में: मात्र) जारी किया गया।

यह कि, उक्त वसूली प्रमाणपत्र के अंतर्गत वसूली से/अपीलीय अधिकरण से जो भी धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे निष्पादकगण/आवेदकों के बैंक खातों में अंतरित किया जाना है।

यह कि, निष्पादकगण / आवेदकों द्वारा यह घोषित किया गया है कि उनके प्रतिनिधित्व में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी भारतीय न्यायालय / न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य फोरम में कोई विवाद या मुकदमा लंबित नहीं है।

अतः, यह प्रतिज्ञा-पत्र निम्नानुसार प्रमाणित करता है:

1. उक्त मृतक श्री/श्रीमती पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी श्री / श्रीमती....., निवासी , जिनका दिनांक / /20 को निधन हो गया है (मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न), उनके निम्नलिखित वैध उत्तराधिकारी हैं तथा उनके बैंक खाते के विवरण भी निम्न तालिका में अंकित हैं (बैंक खाता विवरण, पारिवारिक सदस्य प्रमाण-पत्र, पासबुक / रद्द चेक की प्रति संलग्न):-

क्र. सं.	नाम (श्री / श्रीमती / कु.)	आयु (वर्ष)	मृतक से संबंध (पत्नी / पुत्र / पुत्री)	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC कोड
1						
2						
3						

2. घोषणा की जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त मृतक के कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं हैं तथा उक्त मृतक के विधिक उत्तराधिकार के संबंध में कोई विवाद या मुकदमा किसी भी भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण / अन्य फोरम में लंबित नहीं है।

3. यह कि, यह प्रतिज्ञा पत्र उत्तर प्रदेश रेरा या उसके किसी अधिकारी / कर्मचारी को किसी तीसरे पक्ष के दावे से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निष्पादित किया जा रहा है।
4. यदि भविष्य में किसी प्रकार की प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं या कोई वाद उत्पन्न होता है, तो उत्तर प्रदेश रेरा उक्त निष्पादकगण के विरुद्ध वसूली / विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. हम सभी निष्पादकगण इस प्रतिज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं।
6. यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति अपने उत्तराधिकार का दावा करता है, तो ऐसी किसी भी कानूनी / वित्तीय जिम्मेदारी के लिए केवल निष्पादकगण व उनके उत्तराधिकारी उत्तरदायी होंगे और उत्तर प्रदेश रेरा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

निष्पादक/ निष्पादकगण (नाम व पता):

स्थान: _____

दिनांक: _____